## प्रस्तावना

उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 की स्थापना वर्ष 1989 में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत की गई थी। निगम का पंजीकृत कार्यालय लखनउÿ में स्थित है।

उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 देष का प्रथम आई0एस0ओ0 9001:2000 प्रमाण पत्र प्राप्त पूर्व सैनिकों का संगठन है।

निगम का प्रबंधन निगम के निदेषक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निगम के प्रबंध निदेषक होते हैं, जिनके द्वारा निगम के समस्त प्रषासनिक व वित्तीय कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण निदेषक मण्डल द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत किया जाता है।

## कार्यकलाप

### 1. परिसर प्रबंधन / सुरक्षा सेवाः

वर्तमान में उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अनेकों अर्द्धषासकीय संस्थानों यथा आई0ओ0सी0, बी0पी0सी0एल0, बी0एस0एन0एल0, एच0ए0एल0, एच0पी0सी0एल0, एयरपोर्ट अथॉरिटी इत्यादि को विगत 15 वर्षों से सुरक्षा सेवायें प्रदान की जा रहीं हैं तथा इसका कार्यक्षेत्र उ0प्र0 के अतिरिक्त मध्य प्रदेष, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेष, उत्तराखण्ड एवं जम्मू एवं कष्मीर इत्यादि हैं।

### 2. तकनीकी सेंवायेंः

निगम द्वारा विभिन्न प्रमुख नियोक्ताओं और अर्द्धषासकीय संस्थानों को तकनीकी सेवायें भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिसमें विभिन्न तकनीकी दक्षता वाले कर्मचारियों यथा विद्युतकार, रेडियो ऑपरेटर, मैकेनिक व अन्य अनेक कुषल, अर्द्धकुषल तकनीकी दक्षता वाले कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है।

### 3. प्रषासनिक एवं चिकित्सीय सेवायेंः

निगम विभिन्न सेवाओं के माध्यम से चिकित्सीय कार्यों में दक्ष पूर्व सैनिकों को पुर्नवासित करता है। निगम द्वारा पूर्व सैनिक कर्मचारियों की सेवायें विभिन्न अर्द्धषासकीय संस्थानों, षासकीय विभागों व विभिन्न संगठनों में प्रषासनिक व लिपिकीय कर्मचारी के रूप में अनुबन्ध के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है। विभिन्न अर्द्धषासकीय उपक्रमों व

अन्य संगठनों में रिक्त पदो के सापेक्ष एक–एक वर्ष की संविदा के आधार पर इनकी सेवायें उपलब्ध कराई जाती है।

4. वर्तमान में निगम द्वारा निगम मुख्यालयों के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधकों के कार्यालयों के माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। निगम द्वारा वर्तमान में लगभग 10,816 कर्मियों की सुरक्षा / तकनीकी एवं अन्य प्रषासनिक सेवाओं में नियोजित किया गया है।

<u>निगम का संगठनात्मक ढाचा</u>

<u>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0</u>

मुख्यालय

<u>अध्यक्ष</u>

श्री राम कुमार, आई0 ए0 एस0

<u>उपाध्यक्ष</u>

श्री धनी राम सिंह

<u>प्रबंध निदेषक</u>

कर्नल ए0 के0 बाजपेई ;अ0प्रा0द्ध

<u>महाप्रबंधक</u>

कर्नल ए0 के0 बाजपेई ;अ0प्रा0द्ध

| <u>मुख्य परियोजना प्रबंधक</u> | <u>वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक</u> | <u>वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक</u> |
|---|---|---|
| कर्नल एच0वी0 गुप्ता ;अ0प्रा0द्ध | ले0 कर्नल ए0के0 मुकर्जी ;अ0प्रा0द्ध | ले0 कर्नल डी0के0 सिंह ;अ0प्रा0द्ध |

<u>निगम के माध्यम से वार्षिक अनुबंध पर नियुक्ति हेतु अर्हतायें</u>

<u>अधिकारी</u>

1. क्षेत्र में कार्य हेतु उत्तम स्वास्थ्य ";ै।च्.1द्ध
2. आयु 56 वर्ष से अधिक न हो ।

<u>जे0 सी0 ओ0 एवं अन्य रैंक</u>

1. चिकित्सा श्रेणी – ए0वाई0ई0 / वी0 ;मानसिक रोगी न होद्ध
2. चरित्र – उदाहरणीय / अति उत्तम
3. पेन्षन प्राप्त कर रहा हो ।

4. आयु – जे0 सी0 ओ0 – 50 वर्ष से अधिक न हो ,

अन्य रैंक – 45 – वर्ष से अधिक न हो

## उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
## पते तथा दूरभाड्ढ नं0

**मुख्यालय**

**पता–** कैनाल रिंग रोड, नियर एनबीएफजीआर, पो0–दिलकुषा, लखनउÿ–226 002
**दूरभाड्ढ नं0** 0522–2446116, 2446212,6543780,6543742,6570923,6570924
**फैक्स नं0** 0522–2446090
**वेबसाइट नं0** ूण्नचेंपदपादपहंउण्बवउ **ई–मेल** उक / नचेंपदपादपहंउण्बवउ
कर्नल ए0के0 बाजपेई{अ0प्रा0} प्रबंध निदेषक
कर्नल एच0वी0 गुप्ता{अ0प्रा0} मुख्य परियोजना प्रबंधक
ले0कर्नल ए0के0 मुकर्जी{अ0प्रा0} वरि0 परियोजना प्रबंधक
ले0कर्नल डी0के0 सिंह{अ0प्रा0} वरि0 परियोजना प्रबंधक

| क्रम सं0 | क्षेत्रीय कार्यालय | नाम, पद एवं पता | दूरभाष नं0 |
|---|---|---|---|
| 1. | आगरा | कर्नल मनहर षर्मा {अ0प्रा0}, क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>ए–2 डिफेन्स कालोनी, आगरा कैन्ट–282 101<br><br>ऑ0 ना0 सुबे0 रतन सिंह<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>बी–34, करनी फाटक, जोठवाडा, जयपुर–302 012 | 0562.2411786<br><br><br><br>0141.6542928 |
| 2. | इलाहाबाद | ले0कर्नल सुरेष सिंह{अ0प्रा0}, परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>सी–25 मेहदौरी कालोनी, तेलियर गंज, इलाहाबाद। | 95532.2546222 |
| 3. | बरेली | ले0कर्नल देवेन्द्र कुमार{अ0प्रा0}, परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 | 0581.2523605 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | एस–2/83, ग्रीन पार्क एक्सटेंसन, बीसलपुर रोड, बरेली | |
| 4. | देहरादून | कर्नल जी0के0 बौंटियाल {अ0प्रा0}, क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>534, इंदिरा नगर कालोनी, पो0ऑ0 न्यू फारेस्ट, देहरादून–248 001 | 0135.2764468 |
| 5. | इटावा | मेजर प्रताप सिंह चौहान{अ0प्रा0}, क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>मकान नं0 26, विजय नगर चौराहा, इटावा{उ0प्र0} | 9415013497 |
| 6. | गोण्डा | ले0कर्नल ओ0पी0 सिंह {अ0प्रा0}, परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>जानकी नगर, बहराइच रोड, नियर कुष्ट सेवा केन्द्र, गोण्डा–271 001 | 955262.232948 |
| 7. | गोरखपुर | मेजर राजकुमारन{अ0प्रा0}, परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>अपोजिट होटल अवन्तिका, मोहद्दीपुर, कुनराघाट, गोरखपुर | 9451251347 |
| 8. | दिल्ली | विंग कमां0 टी0के0 काबू{अ0प्रा0}, क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>मकान नं0 377ए, चौ0 बनी सिंह हाउस, साहाबाद मोहम्मदपुर गांव{नियर पोस्ट ऑफिस} अपोजिट भारत पेट्रोलियम डिपो, नई दिल्ली–110 061 | 011.25656281 |
| 9. | झांसी | मेजर आर0के0 सक्सेना {अ0प्रा0}, परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>261, सिविल लाइन्स, ब्लू वेल स्कूल के पीछे, इलाहाबाद बैंक के सामने, झांसी | 0510. 2470285 |
| 10. | कानपुर | कैप्टन विवेक सच्चर {अ0प्रा0}, परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि018/37, कर्मचारी नगर, पीएसी रोड, ष्याम नगर, कानपुर। | 95512 . 3207951 |
| 11. | लखनउÿ | ले0कर्नल आर0एस0 चौबे{अ0प्रा0}, क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>कैनाल रिंग रोड, नियर एनबीएफजीआर, पो0–दिलकुषा, लखनउÿ–226 002 | 0522.2446092 |
| 12. | नोएडा | ले0कर्नल एन0बी0 लाल{अ0प्रा0}, परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 | 0120. 2542225 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | आई–10, सेक्टर–12, नोएडा–201 301 | |
| 13. | वाराणसी | मेजर राजकुमारन {अ0प्रा0}, परियोजना प्रबंधक<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0<br>मकान नं0 सी–12, डी0आई0जी0 कालोनी, मकबूल आलम रोड,<br>इनकम टैक्स ऑफिस के सामने, वाराणसी | 0542.2500511 |

निदेशक मण्डल की सूची

| क्रम सं0 | पदनाम |
|---|---|
| 1. | अध्यक्ष,<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 |
| 2. | उपाध्यक्ष,<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 |
| 3. | प्रबन्ध निदेशक,<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 |
| 4. | निदेशक,<br>निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उ0प्र0 |
| 5. | निदेशक,<br>पुर्नवास मघ्यकमान |
| 6. | सचिव,<br>समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन |
| 7. | प्रमुख सचिव,<br>सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 ष्शासन |
| 8. | सचिव,<br>वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन |
| 9. | सहायक निदेशक,<br>संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ0प्र0 |
| 10. | समन्वय अधिकारी,<br>नियोजन विभाग, उ0प्र0 ष्शासन |
| 11. | निदेशक,<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0ष्शासन द्वारा नामित गैर |

| | |
|---|---|
| | सरकारी सदस्यद्ध |
| 12. | निदेशक,<br>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0ष्शासन द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्यद्ध |

<u>निगम के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों का विवरण</u>

<u>दिनांक 01 अगस्त 2007</u>

| कमांक | निगम के क्षेत्रीय कार्यालय | योग |
|---|---|---|
| 1. | आगरा | 763 |
| 2. | इलाहाबाद | 1026 |
| 3. | बरेली | 603 |
| 4. | देहरादून | 228 |
| 5. | इटावा | 1157 |
| 6. | गोरखपुर | 154 |
| 7. | जयपुर | 49 |
| 8. | झॉसी | 872 |
| 9. | कानपुर | 1017 |
| 10. | लखनऊ {मुख्यालय} | 65 |
| 11. | लखनऊ {क्षेत्रीय कार्यालय} | 1836 |
| 12. | नई दिल्ली | 1348 |
| 13. | नोयडा | 739 |
| 14. | वाराणसी | 540 |
| 15. | गोंडा | 419 |
| | कुल योग | 10,816 |

## नियोजित पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों का विवरण
## दिनांक 01 अगस्त 2007

| ट्रेड / सेवाओं का प्रकार | पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों की संख्या |
|---|---|
| प्रषासनिक सेवायें | 305 |
| तकनीकी सेवायें | 1415 |
| सुरक्षा सेवायें | 8856 |
| चिकित्सा सेवायें | 240 |
| कुल योग | 10,816 |

## प्रमुख नियोक्ता संस्थान

- भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0
- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन
- नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि0
- पावर ग्रिड कारपोरेशन
- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0
- भारत संचार निगम लि0
- विदेश संचार निगम लि0
- इण्डियन इन्स्ट्रीट्यूट ऑपफ मैनेजमेंट
- हिन्दुस्तान एरोनॉटिक लि0
- यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0
- सिडवी
- ओ0एन0जी0सी0
- कारपोरेशन बैंक
- एपफ0सी0आई0
- टिहरी हाइडो कारपोरेशन लि0
- पर्यटन विभाग
- वन विभाग
- एस0जी0पी0जी0आई0एम0एम0

- रिम्स्
- एन0एच0ए0आई0
- सर्वे आपफ इण्डिया
- नेशनल हाइड्रो इलेक्टिक पावर कारपोरेशन लि0
- सिविल एविऐशन
- बैंक आपफ इण्डिया
- देना बैंक
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक
- भारत इलेक्ट्रानिक्स लि0
- डाक विभाग
- एवं विभिन्न संस्थान

<u>उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0</u>

<u>हमसे सम्पर्क करें</u>

पत्राचार हेतु पता

उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
कैनाल रिंग रोड, देवी खेडा
निकट एन0 बी0 एफ0 जी0 आर0
पोस्ट आफिस – दिलकुषा
लखनऊ – 226 002

दूरभाष संख्या – 0522 – 2446090, 2446116
फैक्स संख्या – 0522 – 2446090

<u>ई–मेल –</u>

प्रबंध निदेषक : उक/नचेंपदपादपहंउण्बवउ
महाप्रबंधक : हउ/नचेंपदपादपहंउण्बवउ
मुख्य परियोना प्रबंधकः बचउ/नचेंपदपादपहंउण्बवउ
वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक : चउ /नचेंपदपादपहंउण्बवउ

| | | |
|---|---|---|
| वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक | : | चउ उक/नचेंपदपादपहंउण्बवउ |
| मुख्यालय लखनऊ | : | ्रि/नचेंपदपादपहंउण्बवउ |

**<u>क्षेत्रीय कार्यालय</u>**

| | | |
|---|---|---|
| आगरा | : | चउंहतं/नचेंपदपादपहंउण्बवउ |
| इलाहाबाद | : | चउंससींइंक /नचेंपदपादपहंउण्बवउ |
| कानपुर | : | चउांदचनत /नचेंपदपादपहंउण्बवउ |
| लखनऊ | : | तचउ /नचेंपदपादपहंउण्बवउ |
| नोयडा | : | चउ /नचेंपदपादपहंउण्बवउ |
| दिल्ली | : | तचउ /नचेंपदपादपहंउण्बवउ |
| इटावा | : | तचउ /नचेंपदपादपहंउण्बवउ |

## <u>निगम प्रदत्त सेवायें</u>

### <u>तकनीकी, प्रषासनिक एवं परिसर व्यवस्था में अपेक्षित कार्य करने वाले कर्मियो की श्रेणीबद्ध सूची</u>

| तकनीकी सेवायें | प्रषासनिक सेवायें | परिसर व्यवस्था/ सुरक्षा सेवायें |
|---|---|---|
| इलेक्ट्रीषियन ग्रेड–1 | वैयक्तिक सहायक | मुख्य प्रबंध अधिकारी |
| लाइन आपरेटर ग्रेड–1 | आषुलिपिक | प्रबंध अधिकारी |
| डोजर आपरेटर ग्रेड–1 | लिपिक | सहायक कमांडेन्ट |
| पम्प आपरेटर | कंप्यूटर आपरेटर | मैनेजमेंन्ट सुपरवाइजर |
| लिफ्ट आपरेटर | कंप्यूटर प्रोग्रमर | गार्ड कमान्डर |
| ड्राइवर एल एम वी | डाटा इन्ट्री आपरेटर | सषस्त्र गार्ड |
| ड्राइवर हैवी गाडी | टेलीफोन आपरेटर | सुरक्षा गार्ड |
| रेडियो आपरेटर | मरीज सहायक | |
| लाइन मैन | संदेष वाहक | |
| वेल्डर | | |
| कारपेन्टर | | |
| प्लम्बर | | |

पेन्टर
मेटल स्मिथ
डोजर मैकेनिक ग्रेड–1
मषीनिस्ट / टर्नर ग्रेड–1
टेलीफोन मैकेनिक
नर्सिंग असिस्टेन्ट ग्रेड–1
लैब सहायक ग्रेड –1
ब्लैक स्मिथ
ब्रिक लेयर
फार्मेसिस्ट ग्रेड–1
ड्राफ्टमैन ग्रेड–1
साइन राइटर
एसी एवं रेफ्रीजियेषन मैकेनिक
वल्कनाइजर
फोरमैन एवं फायर सेवायें

<u>भावी योजनाएं</u>

क <u>प्रस्तावित प्रषिक्षण</u>

1. अग्नि षमन प्रषिक्षण

2. औद्योगिक सुरक्षा प्रषिक्षण

3. कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रषिक्षण

4. कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रषिक्षण

5. एम0 बी0 ए0 प्रषिक्षण

6. सिलाई प्रषिक्षण

ख <u>प्रस्तावित परियोजनाएं</u>

1. वृद्धाश्रम

2. रोजगार हेतु सलाह एवं मार्गदर्षन

3. नसिंग होम / ट्रामा स्कवाड । एम्बुलेन्स

4. होटल एवं खानपान व्यवस्था

उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के वेवसाइट से जानकारी

निगम के माध्यम से नियोजि होने वाले पूर्व

1. सुरक्षा सेवायें

2. तकनीकी सेवायें

3. प्रषासनिक सेवायें

4. प्रागंण प्रबंधन सेवायें

यदि आप निगम के विषय में में अधिक जानकारी चाहते हैं तो

पंजीकरण

अधिकारी

जे0 सी0 ओ0 अन्य रैंक

आश्रित

## अधिकारियों हेतु न्यूनतम योग्यताएं

1. क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तम स्वारूथ्य ;ै।च्.1द्ध
2. आयु 56 वर्ष से अधिक न हो ।

## जे0 सी0 ओ0 एवं अन्य रैंक

1. चिकित्सा श्रेणी – ए0वाई0ई0 / वी0 ;मानसिक रोगी न होद्ध
2. चरित्र – उदाहरणीय / अति उत्तम
3. पेन्षन प्राप्त कर रहा हो ।
4. आयु – जे0 सी0 ओ0 – 50 वर्ष से अधिक न हो ,
   अन्य रैंक – 45 – वर्ष से अधिक न हो

## अधिकारियों हेतु पंजीकरण फार्म

व्यक्तिगत नंबर

सेवा

रैन्क

आखिरी नाम

प्रथम नाम

आर्म / षाखा

पी0 पी0 ओ0 संख्या

महानिदेषक पुर्नवास पजीकरण संख्या

जन्म तिथि

कमीषन की तिथि

सेवा निव्त्त की तिथि

उच्चतम षैक्षिक योग्यता

सिविल

तकनीकी

प्रबंधन

व्यावसयिक

व्र्तमान पता

दूरभाष संख्या

चिकित्सा श्रेणी

फैक्स संख्या

ई–मेल

जाब परर्फामेन्स

पद

वांछित वेतन रु0 में

अषक्तता यदि कोई हो

अनुभव

## जे0 सी0 ओ0 एवं अन्य रैंक हेतु पंजीकरण फार्म

नाम

आर्मी नंबर

अन्तिम रैन्क

अन्तिम यूनिट

व्यवसाय

जन्म तिथि

भर्ती होने की तिथि

सेवा निवृत्ति की तिथि

सेवा निवृत्ति का कारण

चिकित्सा श्रेणी

पी0 पी0 ओ0 संख्या

परिचय पत्र संख्या

महानिदेषक पुर्नवास / जिला
सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकरण संख्या

चरित्र

पहचान चिन्ह

षस्त्र की विवरण एवं लाइसेन्स नं0

षैक्षिक योग्यता

सिविल

सेना
यदि निगम की सेवा में कार्य किया हो
तो उसका विवरण

नियुक्ति हेतु इच्छित स्थान

स्थाई पता

वर्तमान पता

दूरभाष संख्या

<u>पूर्व सैनिक आश्रितों हेतु पंजीकरण फार्म</u>

आश्रित का नाम

जन्म तिथि

पिता का नाम

रैन्क

सैन्य कर्मी / पूर्व सैनिक से संबंध

नाम

आर्मी नं0

वर्तमान पता

आश्रित का उच्चतम षैक्षिक योग्यता

सिविल

तकनीकी

प्रबंधन

व्यावसायिक

कार्य का अनुभव

षौक

व्यवसाय की प्राथमिकता

स्थान की प्राथमिकता

वंछित वेतन

## पूर्व सैनिकों पर आधारित तकनीकी, सलाहकार, प्रषासनिक, सुरक्षा तथा प्रांगण व्यवस्था सेवाओं हेतु सेवा–षर्तें

1. उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम, अवकाष प्राप्त सैन्य सेवा कर्मियों का अग्रणीय प्रमुख कल्याणकारी संस्थान है। हमारी संस्था उ0प्र0 सरकार का उपक्रम है, जो कि कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ, उ0प्र0 सरकार के द्वारा स्थापित की गयी है। संस्था केश्द्वारा, पूर्व सैनिकों पर आधारित उच्च कोटि की तकनीकी, सलाहकार, प्रषासनिक, सुरक्षा तथा प्रांगण व्यवस्था सेवायें विभिन्न संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निजी तथा सरकारी उपक्रमों को उपलब्ध करायीं जा रहीं हैं। निगम के द्वारा चुनिन्दा

कर्मी सक्षम, अपने क्षेत्र में दक्ष, प्रषिक्षित, ईमानदार, उच्चकोटि के अनुषासित, अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध, स्वस्थ तथा मानसिक तौर पर संतुलित व लगभग 25 से 30 वर्ड्ढ का अपने क्षेत्र में अनुभव संजोयें होते है।

2. उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम उ0प्र0 राज्य सरकार का एक उपक्रम है। निगम के क्रिया कलापों तथा गतिविधियों को प्रदेष सरकार की नीतियों के अनुसार निगम के निदेषक मण्डल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका कार्यक्षेत्र उ0प्र0 के अतिरिक्त मध्य प्रदेष, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेष, उत्तराखण्ड एवं जम्मू एवं कष्मीर इत्यादि हैं।

3. निगम के द्वारा प्रदत्त कर्मियों की वेतन तालिका रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, के दिषा–निर्देषों के अनुसार, जिसमें पूर्व सैनिक कर्मियों को कुषल/अर्द्ध कुषल श्रमिक श्रेणी में निरूपित किया गया है तथा राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत जिसका कि पुनरीक्षण वर्ड्ढ के प्रथम अप्रैल तथा प्रथम अक्टूबर को किया जाता है, के अनुसार तैयार की गई है। नवीनतम् प्रचलित वेतन तालिका इस पत्र के परिषिष्ट के रूप में संलग्न है।

4. निगम द्वारा विविध सेवाओं के माध्यम से अर्जित सेवा प्रभार को पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों हेतु निम्न कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है:–

{क} निगम के माध्यम से नियोजित कर्मी की असामयिक मृत्यु की दषा में तत्काल रू0 30,000/– की अहेतुक राषि प्रदान की जाती है।

{ख} समस्त श्रेणी के नियुक्त कर्मियों को सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी के अंतर्गत रू0 5 लाख की राषि से बीमित किया गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सीय व्ययों के मद में रू0 50 हजार तक के बिलों की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।

{ग} स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

{घ} नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को निरंतर प्रषिक्षण प्रदान कराना।

{ड.} विभिन्न पूर्व सैनिक प्रतिष्ठानों / संगठनों, जो कि पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ कार्य करते हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान कराना।

{च}     निगम के माध्यम से नियुक्त समस्त श्रेणियों के कर्मियों को स्वसंचालित कल्याणकारी योजना – निगम कल्याण निधि / कोष से समुचित आर्थिक सहायता प्रदान कराना।

{छ}     पूर्व सैनिकों आश्रितों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य रोजगार पूरक विषयों पर प्रषिक्षण देना।

5. <u>सेवा–षर्तेः–</u>

{क} निगम द्वारा प्रदत्त प्रबन्ध कर्मियों की सेवायें पूर्व सैनिकों पर आधारित होती हैं, जिन्हें कि रक्षा मंत्रालय के दिषा–निर्देषानुसार कुषल/अर्द्धकुषल श्रमिक की श्रेणी में निरूपित किया गया है।

{ख} सुरक्षा कर्मियों को एक वर्षश्में 82 दिन का अवकाष तद्नुसार 15 दिन का अर्जित अवकाष, 12 दिन का आकस्मिक अवकाष तथा 03 राष्ट्ीय अवकाष और 52 दिनों का रेस्ट प्रत्येक माह में अनुपात में देय होगा। सुरक्षा कर्मियों को अधिकृत इस अवकाष पर निरंतर सुरक्षा सेवा बनाये रखने के लिये 28.98 प्रतिषत अतिरिक्त संख्या लीव रिलीफ के रूप में लगाये जाने की आवष्यकता होती है अथवा 28.98 प्रतिषत अतिरिक्त भुगतान लेकर निगम ड्यूटी के लिये अतिरिक्त संख्या उपलब्ध/उचित व्यवस्था करायेगा। जिससे सुरक्षा सेवा की निरंतरता बनाये रखी जा सके। उदाहरणतःयदि प्रमुख नियोक्ता संस्थान द्वारा केवल 03 कर्मियों की मांग की जाती है, तो ऐसी दषा में लीव रिलीफ भत्ता 28.98 प्रतिषत के स्थान पर लीव रिलीफ संख्या उपलब्ध करानी आवष्यक होगी। अर्थात् 03 कर्मियों के स्थान पर 04 कर्मियों की नियुक्ति करनी आवष्यक होगी।
श श
{ग} प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सुरक्षा की दृष्टि से संस्थान में लगायी जाने वाली संख्या का निर्धारण संयुक्त रूप से निगम के द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं मुख्य नियोक्ता संस्थान के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा कर्मियों की संख्या के आधार पर गार्ड कमांडर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट कमाण्डेंट और सुरक्षा अधिकारियों की संख्या भी निर्धारित की जाती है। प्रत्येक सुरक्षा पोस्ट पर कम से कम तीन सुरक्षा कर्मी 8–8 घंटे की पाली के हिसाब से 24 घंटे की सुरक्षा सेवा प्रदान करते हैं।श

{अ} 3 से 5 सुरक्षा कर्मियों पर गार्ड कमांडर की नियुक्ति की जाती है।

{ब} प्रत्येक 10 से 20 सुरक्षा कर्मियों तक एक सुरक्षा सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है।

{स}  50 सुरक्षा कर्मियों पर 03 प्रति षिफट 01 सुरक्षा सुपरवाइजर, 01 सहायक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति आवष्यक होगी।

{द}  150 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति पर अतिरिक्त 03 सुपरवाइजर, 01 सहायक सुरक्षा अधिकारी तथा 01 सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति आवष्यक होगा।

{घ}  संख्या में किसी प्रकार की बढोत्तरी या कमी के लिये निगम को एक सप्ताह की नोटिस वांछित होगी।

{ड.}  सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा संबंधी ड्यूटीज करने के अतिरिक्त और कोई ड्यूटी करने की अनुमति नहीं है।

{च}  सुरक्षा कर्मी चूंकि निगम के साथ संविदा पर अनुबंधित होकर कार्य कर रहें हैं, अतः वह प्रमुख नियोक्ता के कर्मी नहीं होंगे।

{छ}  निगम के द्वारा प्रदत्त सुरक्षा कर्मियों को किसी भी यूनियन या संगठन जो कि प्रमुख नियोक्ता/संस्था से संबंधित है, का सदस्य बनने की अनुमति नहीं है।

{ज}  यदि किन्हीं कारणों से निगम के किसी कर्मचारी को मुख्य नियोक्ता, उस कर्मचारी को न रखने के लिये सूचित करते हैं, उस दषा में उस कर्मचारी का सात दिन का वेतन, नोटिस के तौर पर देय होगा।

6— <u>वेतनमानः—</u>

श्रम आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार जब—जब वेतन को पुनरीक्षित करेगी, तब—तब वेतन का पुनरीक्षण निगम के द्वारा किया जायेगा, जो कि मुख्य नियोक्ता द्वारा देय होगा।

7— <u>भत्तेः—</u>

{अ}  <u>आवास भत्ताः—</u> यदि समुचित आवास, { भोजनालय, प्रसाधन, निःषुल्क बिजली व पानी की व्यवस्था सहित आवास} प्रमुख नियोक्ता द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो मूल वेतन तथा वी0डी0ए0 का 10 प्रतिषत आवास भत्ता मुख्य नियोक्ता द्वारा देय होगा।

{ब} <u>लीव रिलीफ भत्ताः–</u> यदि 28.98 प्रतिषत इच्छित संख्या के अतिरिक्त कर्मी नहीं लगाये जाते हैं तो सुरक्षा कर्मियों की अधिकृत छुट्टी कटवाने के लिये 28.98 प्रतिषत लीव रिलीव भत्ता मुख्य नियोक्ता संस्थान द्वारा निगम को देय होगा।

8– <u>ई0एस0आई0ः–</u> राज्य कर्मचारी बीमा के प्राविधानों से राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेषन संख्या–1458/36–7–97–5{39}/96, दिनांक 24 जुलाई 1998 के अनुसार उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम को छूट प्रदान की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

9– <u>बोनसः–</u> निगम से प्रदत्त सुरक्षा सेवाओं के कर्मियों को { मूलवेतन +वी0डी0ए0 का} 8.33 प्रतिषत बोनस अनुमन्य है जो कि प्रमुख नियोक्ता संस्थान द्वारा प्रतिमाह वेज बिल में देय होगा। वर्तमान की दर के अनुसार देय बोनस की राषि वेतन तालिका में उल्लिखित है।

10– <u>टर्मिनल बेनीफिट्स/ग्रेच्युटीः–</u> वर्तमान नीतियों के अनुसार वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम् टर्मिनल बेनीफिट्स/ग्रेच्युटी निगम के कर्मियों के मूल वेतन+वी0डी0ए0 का 4.81 प्रतिषत की दर से प्रतिमाह वेज बिल में प्रमुख नियोक्ता संस्थान द्वारा देय होगा।

11– <u>सेवा प्रभारः–</u> निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर 14–20 प्रतिषत सेवा प्रभार लिया जायेगा।

12. <u>ई0पी0एफ0</u>ः– ई0पी0एफ0 प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान नियोक्ता संस्थान को 13. 61 प्रतिषत {12 प्रतिषत ई0पी0एफ0, 1.11 प्रतिषत एडम चार्ज एवं 0.5 प्रतिषत ई0डी0एल0आई0} की दर से ई0पी0एफ0 में अंषदान करना होगा।

13. {क} <u>सेवा करः–</u> केन्द्र सरकार द्वारा निरूपित दिनांक 16 अक्टूबर 1998 से लागू सेवाकर वेज बिल की कुल राषि पर हर माह 12.36 प्रतिषत की दर से प्रमुख नियोक्ता से प्राप्त कर केन्द्रीय उत्पाद षुल्क विभाग में जमा किया जायेगा।

{ख} राज्य सरकार के निगमों/उपक्रमों द्वारा प्रदान की जा रहीं पूर्व सैनिकों पर आधारित सेवाओं पर सरकार द्वारा किसी भी समय किसी भी प्रकार के कर लगाये जाने पर सम्बन्धित गजट नोटिफिकेषन में उल्लिखित प्रभावी तिथियों से प्रमुख नियोक्ता को राषि का भुगतान करना होगा।

14– <u>वर्दी एवं अन्य उपकरणः–</u> निगम के कर्मी निगम की अधिकृत वर्दी ही पहनेंगे। वर्दी के उपकरण, लाठी एवं टार्चेज निगम के द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी। टार्च के सेल तथा ड्यूटी के मध्य हथियार से फायर किये गये कारतूस का व्यय प्रमुख नियोक्ता

द्वारा वहन किया जायेगा। जिसके लिये आवष्यकतानुसार समय–समय पर निगम द्वारा प्रमुख नियोक्ता संस्थान को बिल प्रेषित किया जायेगा।

15. <u>बिलों का भुगतानः–</u>

{अ} मुख्य नियोक्ता को बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिष्चित करना होगा।

{ब} एक माह का समय व्यतीत हो जाने पर भी बिल का भुगतान न किये जाने पर मुख्य नियोक्ता संस्थान के द्वारा कुल बिल की राषि पर 18 प्रतिषत की दर से निगम को ब्याज देय होगा।

16. <u>अनुबन्धः–</u> साधारणतया अनुबंध एक वर्ष के लिये होगा तथा आपसी सहमति के पष्चात् इन्हीं सेवा शर्तो पर और न्यूनतम् वेतन पुनरीक्षण वृद्धि के साथ नवीनीकरण किया जा सकेगा। एक माह का नोटिस या एक माह के बराबर वेतन राषि के भुगतान के उपरांत मुख्य नियोक्ता संस्थान अथवा निगम के द्वारा कभी भी अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

17. <u>सुरक्षा कर्मियों को लगाने के लिये समय सीमाः–</u> अनुबन्ध/वर्क आर्डर अंतिम रूप से हस्ताक्षर हो जाने के पष्चात् लगभग 3 से 4 सप्ताह का समय सुरक्षा कर्मियों को सेवा में लगाने के लिये अपेक्षित होगा।

18. <u>अनुबन्ध को संचालित करने की प्रतिबद्धता के लिये प्रतिभूति/बैंक प्रतिभूतिः–</u> रक्षा मंत्रालय के दिषा–निर्देषों के अंतर्गत पूर्व सैनिकों पर आधारित सेवायें प्रदान कराने पर नियोक्ता संस्थानों को "कान्ट्रैक्ट परफार्मेंस गारंटी" {सी0पी0जी0}/बैंक गारंटी देने की आवष्यकता नहीं है। फिर भी यदि प्रमुख नियोक्ता द्वारा सुरक्षा सेवाओं की आवष्यकताओं के अनुसार बैंक गारंटी की मांग की जाती है तो उस दषा में रक्षा मंत्रालय के दिषा–निर्देषों के तहत् एक महीने के देय वेज बिल की अधिकतम् 2 से 5 प्रतिषत राषि बैंक गारंटी के रूप में, दोनों पक्षों की आपसी सहमति के अनुसार, निगम के द्वारा दी जा सकती है।

19. <u>प्राथमिकी/संयुक्त जांचः–</u> किसी प्रकार की चोरी आदि से हानि होने पर नियोक्ता संस्थान पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायेंगे तथा संयुक्त जांच कमेटी जिसमें कि नियोक्ता संस्थान व निगम के प्रतिनिधि भाग लेंगे एवं उनके जांचोपरांत निकले निष्कर्षों के आधार पर ही हानि की भरपाई करने की व्यवस्था सुनिष्चित की जायेगी।

20. **<u>वेज बिल में एकतरफा कटौतीः–</u>** यदि नियोक्ता संस्थान को चोरी या किन्हीं अन्य कारणों से हानि होती हैं तो उसकी भरपाई एकतरफा कार्यवाही के तौर पर निगम के मासिक वेज बिल से नहीं की जायेगी।

21. निम्न हालातों में निगम द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा में कमी होने पर निगम की कोई जिम्मेदार नहीं होगीः–

{अ} साम्प्रदायिक दंगे, युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं में।

{ब} सुरक्षा व्यवस्था में पाई गयी खामियों में आवष्यक सुधार किये जाने संबंधी सलाह दिये जाने के बाद यथोचित समय में नियोक्ता संस्थान द्वारा उस पर कार्यवाही न की जाने पर।

{स} बाहरी तत्वों द्वारा कार्यस्थल के बाहर से ही { बिना संस्थान में प्रवेष किये हुये} कोई ऐसी परिस्थिति जिसे रोका न जा सके, उत्पन्न करने पर।

{द} सैबोटाज

22. नियुक्त होने वाले कर्मियों के मासिक बीजकों के सापेक्ष दो महीने के बीजकों का भुगतान प्रमुख नियोक्ता संस्थान द्वारा उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 को अंतिम रूप में करना होगा।

23. सुरक्षा कर्मियों की मासिक उपस्थिति नियोक्ता संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक माह के पहले दिन तक सत्यापित हो जानी चाहिये। यदि किन्हीं कारणों से उपस्थिति सत्यापित नहीं होती है तो असत्यापित उपस्थिति तालिका पर ही तैयार वेज बिल के अनुसार प्रमुख नियोक्ता संस्थान द्वारा वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा।

24. यदि प्रमुख नियोक्ता संस्थान द्वारा भुगतान समय से तथा नियमित नहीं प्राप्त होता है और दो माह के समकक्ष अग्रिम भुगतान की लगातार निरंतरता नहीं बनाई जाती है तो उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, प्रदत्त सेवाओं को बिना किसी नोटिस के समाप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

25. नियोक्ता संस्थान द्वारा पूरे अनुबंध काल के लिये समुचित बजट का प्राविधान करा लिया जाना अति आवष्यक है ताकि बजटाभाव के कारण निगम के कर्मियों के मासिक वेतन लम्बित/प्रभावित न होने पायें।

26. निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की जा रहीं/प्रदान की जाने वाली विविध श्रेणी की सेवाओं का विवरण संलग्न है।

परिशिष्ट

**तकनीकी, प्रशासनिक एवं परिसर व्यवस्था में अपेक्षित कार्य करने वाले कर्मियो की श्रेणीबद्ध सूची**

| तकनीकी सेवायें | प्रशासनिक सेवायें | परिसर व्यवस्था/ सुरक्षा सेवायें |
|---|---|---|

इलेक्ट्रीषियन ग्रेड–1
लाइन आपरेटर ग्रेड–1
डोजर आपरेटर ग्रेड–1
पम्प आपरेटर
लिफ्ट आपरेटर
ड्राइवर एल एम वी
ड्राइवर हैवी गाडी
रेडियो आपरेटर
लाइन मैन
वेल्डर
कारपेन्टर
प्लम्बर
पेन्टर
मेटल स्मिथ
डोजर मैकेनिक ग्रेड–1
मषीनिस्ट/ टर्नर ग्रेड–1
टेलीफोन मैकेनिक
नर्सिंग असिस्टेन्ट ग्रेड–1
लैब सहायक ग्रेड –1
ब्लैक स्मिथ
ब्रिक लेयर
फार्मेसिस्ट ग्रेड–1
ड्राफ्टमैन ग्रेड–1
साइन राइटर
एसी एवं रेफ्रीजियेषन मैकेनिक
वल्कनाइजर
फोरमैन एवं फायर सेवायें

वैयक्तिक सहायक
आषुलिपिक
लिपिक
कंप्यूटर आपरेटर
कंप्यूटर प्रोग्रमर
डाटा इन्ट्री आपरेटर
टेलीफोन आपरेटर
मरीज सहायक
संदेष वाहक

मुख्य प्रबंध अधिकारी
प्रबंध अधिकारी
सहायक कमांडेन्ट
मैनेजमेंन्ट सुपरवाइजर
गार्ड कमान्डर
सषस्त्र गार्ड
सुरक्षा गार्ड

<u>आई0एस0ओ0 9001:2000 प्रमाण पत्र</u>

*This certificate is awarded by*

# UNITED URS

Registrar of Systems Ltd

UKAS QUALITY MANAGEMENT

Registration Number 043-A

## *Certificate of Registration*

This certificate has been awarded to

## U.P. PURVA SAINIK KALYAN NIGAM LTD.

B-114,115, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226 010, U.P., INDIA

in recognition of the
organization's Quality System which complies with

## ISO 9001:2000

The scope of activities covered by this certificate are defined below

**"SECURITY AND CAMPUS MANAGEMENT SERVICE PROVIDER TO ALL GOVERNMENT, SEMI GOVERNMENT & PRIVATE SECTORS THROUGH EX-DEFENCE PERSONNELS."**

Certificate Number: 14904

Date of Issue: 09-08-05 ISSUE NO.: 1

Expiry Date: 31-08-08

Issued by:

*On behalf of the Schemes Manager*

Cert 1 Iss 3

Filename: WEB SITE HINDI
Directory: E:\social\Sainik Kalyan Nigam
Template: C:\Documents and Settings\shailash1\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: sainik kalyan nigam
Keywords:
Comments:
Creation Date: 20/08/2007 3:14 PM
Change Number: 35
Last Saved On: 22/08/2007 2:30 PM
Last Saved By: nigam
Total Editing Time: 139 Minutes
Last Printed On: 31/08/2007 1:22 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 27
Number of Words: 3,562 (approx.)
Number of Characters: 20,304 (approx.)